R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2004-05

खण्ड II ◆ अंक 4
अक्तूबर 2005

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

बैंकिंग

जम्मू और कश्मीर में राहत उपाय क्रियाशील बनाये

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि वे जम्मू और कश्मीर राज्य, जिसे भूकम्प के कारण जान और माल का नाश होने से आघात पहुंचा है, के लिए अपना राहत पैकेज उदार रूप से प्रदान करें। बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे भूकम्प के कारण निवासस्थान आदि का जो नुकसान हुआ है उसकी मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करें।

इन उपायों के अलावा बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि राज्य में प्रभावित व्यक्तियों को दिये जाने वाले उपभोग ऋण की सीमा बिना किसी जमानत के 5000 रुपये तक बढ़ायी जाये। उधारकर्ता की चुकौती क्षमता को देखते हुए शाखा प्रबंधक के स्व-विवेक पर यह सीमा 10,000 रुपये तक बढ़ायी जा सकती है। साथ ही बैंकों को कहा गया है कि वे प्रभावित क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं तत्काल पुन: शुरू करें।

रिज़र्व बैंक ने बैंक शाखाओं को निदेश दिये हैं कि वे प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में राहत उपायों पर स्थायी दिशानिर्देशों के अनुसार उपायों का पैकेज तत्काल देना प्रारंभ करें और आपदा से प्रभावित किसानों, लघु उद्योग इकाइयों, कारीगरों, छोटा कारोबार और व्यापारिक आस्थापनों को वित्तीय सहायता प्रदान करें। इन उपायों में निम्नलिखित उपाय शामिल होंगे - आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को संभरण के लिए उपभोग ऋण, मार्जिन आवश्यकताओं में छूट या मार्जिन को अनुदान के रूप में समझना, राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की गयी आर्थिक सहायता, मौजूदा उधारकर्ताओं के साथ-साथ अन्य पात्र व्यक्तियों को ऋण का प्रावधान तथा मौजूदा ऋणों का रूपांतरण और उन्हें पुन: अनुसूचित करना/उनका पुनर्विन्यास करना। इस पैकेज में प्रभावित व्यक्तियों को विकासात्मक प्रयोजनों के लिए मीयादी ऋणों के प्रावधान का भी समावेश होगा। साथ ही ब्याज लगाते समय स्व-विवेक का इस्तेमाल करते समय बैंकों को चाहिए कि वे इन मामलों का सहानुभूति से विचार करें और चालू देय राशियों में चूक के लिए दंडात्मक ब्याज में छूट देने और ब्याज आस्थागित करने पर विचार करें।

रिज़र्व बैंक ने जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए संयोजक बैंक को कहा है कि वह रिज़र्व बैंक के राहत पैकेज के अलावा प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक विशेष उपायों पर विचार करे तथा उसकी सिफ़ारिश करे। रिज़र्व बैंक ने राष्ट्रीय आवास बैंक को यह भी सूचित किया है कि भूकम्प के कारण जिन निवासस्थानों आदि का नुकसान हुआ है उनका निर्माण करने/उनकी मरम्मत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने पर वह विचार करे।

बैंकों को स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए सूचित किया गया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया है कि वे स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत केंद्रीय स्तर समन्वयन समिति की सिफ़ारिशों का कार्यान्वयन करें। सिफ़ारिशों के अनुसार बैंकों को चाहिए कि -

i) शाखा प्रबंधकों को प्रदान किये गये अधिकारों की समीक्षा करें ताकि वे उच्चतर प्राधिकारियों को लिखे बिना स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के सभी आवेदनपत्र मंजूर कर सकें।

ii) यह बात सुनिश्चित करें कि वर्ष के अंत में लंबित सभी आवेदनपत्रों पर अनुवर्ती वर्ष की पहली तिमाही में कार्रवाई की जाती है।

iii) ऋण-अंतर को पार करने के लिए व्यष्टि वित्त संस्थाओं का इस्तेमाल करने की संभाव्यता की छान-बीन करें।

iv) ऋण की तुलना में वित्तीय सहायता का वांछनीय अनुपात 1:3 प्राप्त करने के लिए यथोचित कार्रवाई करें।

v) पिछले दो वर्षों के दौरान योजना के अंतर्गत उधार देने में उनकी शाखाओं के न्यून कार्य-निष्पादन पर ग्रामीण विकास मंत्रालय को स्थिति संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

vi) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम से अलग स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के संबंध में वसूली आंकड़ों का पृथक् अभिलेख बनाये।

बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत स्वरोजगारियों की समस्याओं पर ध्यान देने के लिए जनता के लिए गैर-कारबारी दिवस का इस्तेमाल करें। चूंकि स्वर्णजयन्ती ग्राम

विषय सूची

	पृष्ठ
बैंकिंग	
जम्मू और कश्मीर में राहत उपाय क्रियाशील बनाये	1
बैंकों को स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए सूचित किया गया	1
ग्राहक सेवा	
इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा	2
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	
दलाल/एजेंटों के लिए अपने ग्राहकों को जानने संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत	2
अपने बैंक नोटों को जानिए	2
फेमा	
परिचालन पट्टे पर हवाई जहाज का आयात	3
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005	3
नीति	
परिचालनगत जोखिम के प्रबंध पर मार्गदर्शक नोट	4

स्वरोजगार योजना गरीबी उन्मूलन और रोजगार निर्माण के लिए देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वयन किया जाने वाला प्रमुख कार्यक्रम है, बैंकों को सूचित किया गया है कि वे योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आत्यंतिक रूचि लें और ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए मन लगाकर प्रयास करें।

ग्राहक सेवा

इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा

रिज़र्व बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाओं (ईसीएस) में सहभागी सभी बैंकों को सूचित किया है कि वे अपनी शाखाओं को अनुदेश दें कि वे अपने ग्राहकों के पास बुक/लेखा विवरण में उन्हें इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा में जमा संबंधी ब्यौरे दें। इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा रिपोर्ट में (कागज तथा इलेक्ट्रॉनिक) बैंकों को यूज़र नेम का संक्षित रूप दिया जाता है ताकि लेखा विवरणों में ब्यौरों का प्रावधान किया जा सके। बैंकों को चाहिये कि वे इस संक्षिप्त रूप का यथोचित रूप से इस्तेमाल करें। बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे इस संबंध में उचित तकनीकी समाधान अपनायें।

बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे अन्य इलेक्ट्रॉनिक भुगतान उत्पाद, जैसे इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण, विशेष इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण और साथ-साथ सकल भुगतान के लिए प्रेषक/प्रेषण ब्यौरे के लिए इसी तरह का दृष्टिकोण अपनायें।

रिज़र्व बैंक के पास बैंक ग्राहकों से शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि बैंकों द्वारा पास बुक/लेखा विवरण में ईसीएस प्रविष्टियों के लिए दिये जाने वाले विवरण पूरे नहीं होते और विवरणों के अभाव में लेनदेनों का मिलान कठिन हो जाता है। आपको याद होगा कि सार्वजनिक सेवाओं पर प्रक्रिया और कार्य-निष्पादन लेखा-परीक्षा पर तारापोर समिति ने बैंक विवरणों में लेनदेनों के पूरे ब्यौरे दिये जाने की आवश्यकता पर बल दिया था।

अपने बैंक नोटों को जानिए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अतिरिक्त और नई सुरक्षा विशेषताओं वाले नये बैंक नोट जारी किये हैं। डॉ. वाइ.वी.रेड्डी के हस्ताक्षर वाले ये बैंक नोट 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये और 1000 रुपये मूल्य-वर्ग के हैं।

सुरक्षा विशेषताएं

अग्र भाग

आर-पार मिलान मुद्रण (सी-थ्रू रजिस्टर) : जलचिह्न खिड़की के बगल में खड़ी पट्टी के बीच में आगे (खोखला) और पीछे (भरा हुआ) मुद्रित फूलों की डिज़ाइन के अंदर मूल्यवर्गीय अंक होगा। इस अंक का आधा हिस्सा आगे की ओर, और आधा हिस्सा पीछे की ओर मुद्रित है। दोनों मुद्रित हिस्से आगे-पीछे इतने सटीक छपे हैं कि रोशनी के सामने देखने पर ऐसा लगता है कि ये एक ही हैं।

ओमरान एण्टी फोटोकॉपिंग फीचर : इस विशेषता वाले बैंक नोट की कलर फोटोकॉपियर पर कॉपी करने से कॉपी का रंग बदल जाता है। यह विशेषता "भारतीय रिज़र्व बैंक" और "Reserve Bank of India" लेजंड के दोनों ओर और पीछे की ओर दाहिने हाशिए में छोटे-छोटे पीले छल्लों के रूप में दिखायी देती है।

गुप्त चित्र : एक खड़ी पट्टी में एक गुप्त चित्र है जो बैंक नोट का मूल्यवर्गीय अंक दर्शाता है। बैंक नोट को आंख की सीध में समानांतर रखने पर ही यह छुपा हुआ चित्र दिखायी देता है।

सूक्ष्म लेखन (माइक्रो लेटरिंग) : महात्मा गांधी के चित्र और खड़ी पट्टी के बीच के भाग में सूक्ष्म अक्षरों में अंकित 'RBI' और बैंक नोट का मूल्यवर्ग अंक मैग्नीफाइंग ग्लास की सहायता से देखा जा सकता है।

पहचान चिह्न : प्रत्येक नोट में इंटैग्लियो प्रिंट में एक अलग चिह्न है जो दृष्टिहीनों को नोट का मूल्य वर्ग पहचानने में सहायता करता है।

सुरक्षा धागा : "भारत" और "RBI" अंकित किया हुआ सुरक्षा धागा सभी चारों बैंक नोटों में दिया गया है। रोशनी के सामने नोट रखने पर यह सुरक्षा धागा पीछे से एक सतत रेखा के रूप में दिखायी देगा।

जलचिह्न (वॉटरमार्क) : महात्मा गांधी का चित्र, बहु-दिशात्मक रेखाएं और मूल्यवर्गीय अंक दर्शाने वाला इलेक्ट्रोलाइट चिह्न इस खण्ड में दिखाई देता है। रोशनी के सामने बैंक नोट को रखकर इसे अच्छी तरह देखा जा सकता है।

उभार मुद्रण (इंटैग्लियो प्रिंटिंग) : महात्मा गांधी का चित्र, रिज़र्व बैंक की मुहर, गारंटी और वचन-खंड, बायीं ओर अशोक स्तंभ का प्रतीक चिह्न, भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर और दृष्टिहीनों के लिए पहचान चिह्न इंटैग्लियो में, अर्थात् उभरे हुए मुद्रित हैं जिन्हें छूकर महसूस किया जा सकता है।

पृष्ठभाग

मुद्रण वर्ष : मुद्रण का वर्ष बैंक नोट के पीछे की ओर निचले भाग पर मध्य में रहेगा।

ओमरान एण्टी फोटोकॉपिंग फीचर

अन्य सुरक्षा विशेषताएं

प्रकाश परावर्तन (फ्लोरोसेंस) : बैंक नोटों के नंबर पैनल फ्लोरोसेंट स्याही से मुद्रित किए गए हैं। बैंक नोटों में प्रकाश परावर्तक रेशे डाले गए हैं। परा बैंगनी प्रकाश में बैंक नोट को रखने पर ये दोनों विशेषताएं दिखाई देती हैं।

कागज : बैंक नोट रुई और सूती चिंदी वाले तत्व से बने विशेष जलचिह्न वाले पेपर पर मुद्रित किए गए हैं। यह बैंक नोट को एकदम अलग 'स्पर्श' और 'कड़कड़ाहट की आवाज़' देता है। नई श्रृंखला के बैंक नोटों के कागज का ग्रामेज अर्थात् वज़न और कैलिपर मोटाई बढ़ाई गई है।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ

अपने ग्राहकों को जानने संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत दलाल/एजेंटों पर लागू करना

रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया है कि अपने ग्राहक को जानिये संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत उनके द्वारा अधिकृत व्यक्तियों, जिनमें दलाल/एजेंट आदि शामिल हैं पर लागू करें जो जनता से उनकी जमा राशियां इकट्ठी करते हैं। चूँकि ये व्यक्ति गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की ओर से जनता से जमा राशियाँ इकटठी करते हैं इसलिए अपने ग्राहकों को जानने संबंधी मानकों का पालन इनके द्वारा किये जाने की पूरी जिम्मेदारी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की होगी।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ इस संबंध में संपूर्ण जानकारी भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करें ताकि इस बात को सत्यापित किया जा सके कि कंपनी अपने ग्राहक को जानने संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन कर रही है। ये कंपनियाँ अपने द्वारा अधिकृत व्यक्तियों, जिनमें दलाल/एजेंट, आदि शामिल हैं, द्वारा किये जानेवाले किसी भी उल्लंघन की पूरी तरह से जिम्मेदार होंगीं ।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को आगे यह सूचित किया गया है कि उन्हें उनके द्वारा अधिकृत व्यक्तियो, जिनमें दलाल/एजेंट आदि शामिल हैं के संबंध में पृष्ठभूमि नियुक्ति एवं विस्तृत सत्यापन की एक समान कार्यप्रणाली रखनी होगी। गैर-बैंकिंग कंपनियों को किये गए अध्यवसाय का ब्योरा रिकार्ड में सत्यापन के

लिए रखना होगा। इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट 31 दिसंबर 2005 तक भारतीय रिज़र्व बैंक को मिल जानी चाहिए।

गैर-बैंकिंग कंपनियों के पास एक प्रणाली होनी चाहिए जिसके अंतर्गत कंपनी द्वारा अधिकृत व्यक्ति, जिनमें दलाल/एजेंट आदि शामिल हैं, के कंपनी के दलाली कार्य से संबंधित बही खाते की उपलब्धता जरूरत पड़ने पर लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण हेतु सुनिश्चित की जा सके।

रिज़र्व बैंक ने आगे सूचित किया है कि सभी जमा रसीदों पर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का नाम एवं उसके पंजीकृत कार्यालय का पता दर्ज होना चाहिए तथा उस पर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा अधिकृत व्यक्तियों, जिनमें दलाल/एजेंट आदि शामिल हैं, के नाम तथा उनके पते जो जमाराशि इकट्ठी करते हैं तथा लिंक आफिस(संपर्क कार्यालय) का उस अधिकारी और या अधिकृत व्यक्ति, जिनमें दलाल/एजेंट आदि शामिल हैं, के फोन नंबर दिये हों। दूसरे शब्दों में जमा रसीदों पर फील्ड में काम करनेवाले व्यक्तियों के समक्ष संपर्क किये जाने वाले व्यक्ति का स्पष्ट पता रहे और अदावाकृत/व्यपगत(भूली हुई) जमा, जारी न रखी गई जमा, ब्याज का भुगतान एवं ग्राहकों की अन्य शिकायतों/परिवाद आदि के मामलों को अच्छी तरह निपटाया जा सके। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ एक ऐसी प्रणाली विकसित करें जिसमें ऐसे अधिकृत व्यक्ति, जिनमें दलाल/एजेंट आदि शामिल हैं, जिनके मामले में जमा जारी न रहने के मामले ज्यादा हों, की पहचान हो सके ताकि तत्संबध में उचित कार्रवाई की जा सके।

फेमा

परिचालन पट्टे पर हवाई जहाज का आयात

रिज़र्व बैंक ने प्राधिकृत व्यापारियों को सूचित किया है कि वे परिचालन पट्टे पर हवाई जहाज/हवाई जहाज के इंजिन/हेलिकॉप्टर के आयात हेतु पट्टाकर्ता के पास जमानत जमा के लिए (पट्टा किराए के भुगतान के लिए) प्रति हवाई जहाज 1,000,000 अमरीकी डॉलर (एक मिलियन अमरीकी डॉलर मात्र) तक की प्रेषण की अनुमति हवाई कंपनियों (सरकारी क्षेत्र की कंपनियों अथवा भारत सरकार/राज्य सरकार/सरकारों के विभाग/उपक्रमों से इतर) को दें। यह प्रेषण विदेश स्थित किसी ख्याति-प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय बैंक की गारंटी पर विदेश स्थित किसी ख्यातिप्राप्त अंतर्राष्ट्रीय बैंक से प्राप्त स्टैंडबाइ साखपत्र अथवा गारंटी अथवा भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी की गारंटी के बगैर करने की अनुमति दी जाये, बशर्ते -

(i) प्राधिकृत व्यापारी लेनदेन की नेकनीयती से आश्वस्त है।

(ii) हवाई कंपनियों ने परिचालन पट्टे पर हवाई जहाज/हेलिकॉप्टर के आयात हेतु नागरिक विमानन मंत्रालय/महानिदेशक नागरिक विमानन, भारत सरकार जैसे उपयुक्त प्राधिकरण से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किया है।

(iii) बैंक के बोर्ड के निदेशकों द्वारा अनुमोदित अग्रिम प्रेषणों से संबंधित नीति के अनुसार अथवा बैंक के बोर्ड के निदेशकों के विशेष अनुमोदन से प्रेषण की अनुमति दी जाती है।

(iv) जमानत जमा की अंतिम परिपक्वता पट्टा किराए की अंतिम किस्त की तारीख अथवा पट्टाकर्ता को हवाई जहाज/हेलिकॉप्टर लौटने की तारीख, जो भी बाद में हो, से परे न हो। आवश्यक हो तो, जमा राशि को पट्टा किराया के लिए समायोजित किया जाए। फिर भी, शेष जमानत राशि, यदि कोई हो, को पट्टा अवधि की समाप्ति के पहले प्रत्यावर्तित किया जाए।

सरकारी क्षेत्र अथवा भारत सरकार/राज्य सरकारों के विभाग/उपक्रमों में हवाई कंपनियों के मामले में, प्राधिकृत व्यापारी, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त बैंक गारंटी में विशेष छूट के तहत पट्टाकर्ता के पास जमानत जमा के लिए प्रति हवाई जहाज (पट्टा किराए के भुगतान के लिए) 1,00,000 अमरीकी डॉलर (एक सौ हजार अमरीकी डॉलर मात्र) से अधिक राशि के प्रेषण की अनुमति दे सकते हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (http://www.persmin.nic.in) बनाया है जो 13 अक्तूबर 2005 से लागू हो गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत सूचना का अधिकार सार्वजनिक प्राधिकरणों में पारदर्शिता और जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए इन प्राधिकरणों के नियंत्रण में रहने वाली सूचना तक भारतीय नागरिकों की पहुँच के लिए एक साधन है। इस अधिनियम की धारा 8 और 9 में सूचना की कतिपय श्रेणियां दी गयी है जिन्हें प्रकटीकरण से छूट दी गयी है। इस अधिनियम में एक मुख्य जनसूचना अधिकारी नियुक्त करने की व्यवस्था भी की गयी है जो सूचना के अनुरोधों का कार्य देखेगा।

इस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक का दायित्व

भारतीय रिज़र्व बैंक एक सार्वजनिक प्राधिकरण है जैसा कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में परिभाषित है। इस प्रकार, भारतीय रिज़र्व बैंक का यह दायित्व है कि वह जनसाधारण को सूचना उपलब्ध कराए।

भारतीय रिज़र्व बैंक से सूचना प्राप्त करना

भारतीय रिज़र्व बैंक में एक सुस्थापित संप्रेषण नीति है। इसके अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक नियमित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंकिंग और वित्त से संबंधित सूचना और आंकड़े नियमित रूप से प्रसारित करता है। यह नियमित आवधिकता - दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, तिमाही, छमाही और वार्षिक आधार पर सूचना और आंकड़े प्रसारित करता है। इसके अलावा जब भी जरूरत होती है अध्ययनों और रिपोर्टों जैसे आकस्मिक प्रकाशनों के जरिये भी सूचना प्रसारित करता है।

रिज़र्व बैंक बैंकिंग, वित्त, विदेशी मुद्रा तथा अन्य संबद्ध विषयों से संबंधित अपने अनुदेश पब्लिक डोमेन पर भी डालता है। इसके अलावा रिज़र्व बैंक खासतौर से जनरुचि के विषयों से संबंधित सूचना दैनिक प्रेस विज्ञप्ति के जरिये भी प्रसारित करता है। रिज़र्व बैंक द्वारा नेमी रूप से प्रसारित की जाने वाली सूचना और आंकड़े इसकी वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर भी उपलब्ध है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री वी.एस.दास को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मुख्य जन सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। उनसे निम्नलिखित पते पर संपर्क किया जा सकता है:

मुख्य जन सूचना अधिकारी
सूचना का अधिकार अधिनियम प्रभाग
प्रशासन और कार्मिक प्रबंध विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक
केंद्रीय कार्यालय भवन (19वीं मंजिल)
शहीद भगत सिंह मार्ग
मुंबई-400001

संपर्क के अन्य ब्यौरे इस तरह हैं।

ई-मेल : cpiorbi@org.in या apiorbi@rbi.org.in
टेलीफोन : 022-2269 1550 (या) 022-2269 1490
फैक्स : 022-2265 8934 (या) 022-2266 0358

बिना पूर्वभुगतान के डाक से भेजने के लिए लाइसेंस संख्या **South - 19/2004-05** **Regd. No. MH/MR/South-29/2004-05**
29 अक्तूबर तथा 31 अक्तूबर 2005 को मुंबई पत्रिका चॅनल छँटनी ऑफिस - GPO से प्रेरित

नीति

परिचालनगत जोखिम के प्रबंध पर मार्गदर्शक नोट

रिज़र्व बैंक ने परिचालनगत जोखिम के प्रबंध पर संशोधित मार्गदर्शक नोट जारी किया है। बैंक अपनी जोखिम प्रबंध प्रणालियों को उन्नत करने के लिए इस मार्गदर्शक नोट का उपयोग कर सकते हैं। परिचालनगत जोखिम के प्रभावी प्रबंध के लिए मार्गदर्शक नोट में निर्धारित प्रणालियां, कार्यविधियां और साधन सांकेतिक हैं। जोखिम प्रबंध संरचना का डिज़ाइन बैंक के आकार तथा व्यापार की जटिलता, जोखिम दर्शन, बाजार बोध और पूंजी के प्रत्याशित आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए।

बैंकों द्वारा परिचालनगत जोखिम प्रबंध के लिए चुना गया सुनिश्चित दृष्टिकोण घटकों की सीमा पर निर्भर होगा। प्रभावी परिचालनगत जोखिम प्रबंध ढांचे के लिए सुस्पष्ट रणनीतियां और निदेशक बोर्ड तथा वरिष्ठ प्रबंधतंत्र द्वारा निरीक्षण, मजबूत परिचालनगत जोखिम प्रबंध संस्कृति, प्रभावी आंतरिक नियंत्रण और रिपोर्टिंग, आकस्मिकता आयोजना महत्त्वपूर्ण तत्त्व हैं। मार्गदर्शक नोट का सारांश नीचे दिया गया है :

परिभाषा

बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासले समिति ने परिचालनगत जोखिम की परिभाषा अपर्याप्त या आंतरिक प्रक्रियाओं में त्रुटि, व्यक्ति, प्रणालियां या बाह्य घटकों के परिणामस्वरूप हानि की जोखिम होती है। इस परिभाषा में कानूनी जोखिम का समावेश किया गया है, किन्तु रणनीतिगत और प्रतिष्ठागत जोखिम को बाहर रखा है। बासले समिति ने ऐसे परिचालनगत जोखिम परिणामों के प्रकारों की पहचान की है जिनके कारण हानि हो सकती है। ये हैं - आंतरिक धोखाधडी, बाहरी धोखाधडी, रोजगार पद्धतियां और कार्यस्थल सुरक्षा, ग्राहक/उत्पाद/कारोबार पद्धतियां, भौतिक आस्तियों को क्षति, कारोबार विघटन/प्रणाली असफलता और कार्यान्वयन/सुपुर्दगी/प्रक्रिया प्रबंध।

निदेशक बोर्ड/वरिष्ठ प्रबंधतंत्र की जिम्मेदारी

बैंक का निदेशक बोर्ड परिचालनगत जोखिमों का प्रभावी प्रबंध सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार होता है। बोर्ड एक समिति का गठन करेगा जिसे विशिष्ट परिचालनगत जोखिम प्रबंध जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। निदेशक बोर्ड को चाहिए कि वह पृथक् जोखिम संवर्ग के रूप में बैंक के परिचालनगत जोखिमों के प्रमुख पहलुओं के बारे में जानकारी रखता हो जिनका प्रबंध किया जा सके और उसे बैंक के लिए यथोचित परिचालनगत जोखिम प्रबंध ढांचा अनुमोदित करना चाहिए और आवधिक रूप से उसकी समीक्षा करनी चाहिए। निदेशक बोर्ड वरिष्ठ प्रबंधतंत्र को सुस्पष्ट मार्गदर्शन दे और दिशा बताये। वरिष्ठ प्रबंधतंत्र की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित परिचालनगत जोखिम प्रबंध ढांचे का कार्यान्वयन करे। ढांचा समग्र बैंकिंग संगठन में निरन्तर रूप से कार्यान्वित होना चाहिए और सभी श्रेणियों के स्टाफ सदस्यों को चाहिए कि वे परिचालनगत जोखिम प्रबंध के संबंध में अपनी जिम्मेदारियां जान लें।

नीतिगत आवश्यकताएं और रणनीतिगत दृष्टिकोण

हर बैंक के पास ऐसी नीतियां और प्रक्रियाएं होनी चाहिए जो सुस्पष्ट रूप से परिचालनगत जोखिम प्रबंध ढांचे के मुख्य तत्त्वों का वर्णन करती हो - जिनमें परिचालनगत जोखिम की पहचान, मूल्यांकन, निगरानी और नियंत्रण/उसे कम करना शामिल हो। परिचालनगत जोखिम प्रबंध नीतियां, प्रक्रियाएं और क्रियाविधियों का प्रलेख बनाया जाये और उसके बारे में संबंधित स्टाफ, अर्थात् इकाई में सभी स्तरों के कार्मिक जो महत्त्वपूर्ण परिचालनगत जोखिम उठाते हैं, को सूचित किया जाये।

पहचान और मूल्यांकन

बैंकों को चाहिए कि वे सभी महत्त्वपूर्ण उत्पाद, गतिविधियों, प्रक्रियाओं और प्रणालियों में निहित परिचालनगत जोखिम की पहचान और मूल्यांकन करें। बैंकों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि नये उत्पाद, नयी गतिविधियां, प्रक्रियाएं और प्रणालियां प्रारंभ करने से पहले उनमें निहित परिचालनगत जोखिम की सुस्पष्ट पहचान की जाती है और वह पर्याप्त मूल्यांकन क्रियाविधियों के अधीन होती है।

संगठनात्मक ढांचा और संस्कृति

बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधतंत्र ऐसी संगठनात्मक संस्कृति बनाये जो प्रभावी परिचालनगत जोखिम प्रबंध और स्वस्थ परिचालन क्रियाविधियों के अनुपालन को उच्च वरीयता दे।

निदेशक बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधतंत्र दोनों ऐसी मजबूत आंतरिक नियंत्रण संस्कृति की स्थापना के लिए जिम्मेदार हैं, जिसमें नियंत्रण गतिविधियां बैंक की नियमित गतिविधियों का एक समेकित हिस्सा है, चूंकि ऐसा समेकन परिवर्तन होनेवाली स्थितियों पर शीघ्र प्रतिक्रिया देता है और अनावश्यक लागतें टालता है।

निगरानी

बैंकों के पास महत्त्वपूर्ण परिचालनगत जोखिमों के नियंत्रण और/या उन्हें कम करने के लिए नीतियां, प्रक्रियाएं और क्रियाविधियों का होना जरूरी है। बैंकों को चाहिए कि वे आवधिक रूप से अपनी जोखिम सीमाएं और नियंत्रण रणनीतियों की समीक्षा करें और अपनी समग्र जोखिम प्रवृत्ति और रूपरेखा को देखते हुए यथोचित रणनीतियों का इस्तेमाल करते हुए तदनुसार अपना परिचालनगत जोखिम ढांचा समायोजित करें।

आंतरिक लेखा-परीक्षा

बैंको के पास पर्याप्त आंतरिक लेखा-परीक्षा व्याप्ति होनी चाहिए ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि परिचालनगत नीतियां और प्रक्रियाओं का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन किया गया है। बोर्ड को (या तो प्रत्यक्ष रूप से या अपनी लेखा परीक्षा समिति के माध्यम से परोक्ष रूप से) यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि लेखा-परीक्षा कार्यक्रम की व्याप्ति और बारम्बारता जोखिम संबंधी अवस्थिति के लिए यथोचित है।

पूंजी का निर्धारण

बासले समिति ने बढते हुए बिगाड़ (सोफिस्टिकेशन) और जोखिम अस्थिरता सतत जारी रहने पर जोखिम पूंजी प्रभारों की गणना के लिए तीन विकल्पों वाला एक ढांचा बनाया है। इस तथ्य के बावजूद कि बैंक पूंजी प्रभार की गणना के लिए इनमें से एक विकल्प अपनायेंगे, यह माना जाना है कि वे इस नोट में दिये गये दिशानिर्देशों के साथ अपनी परिचालनगत जोखिम प्रबंध प्रणालियों के न्यूनतम मानदंड निर्धारित करेंगे और अधिक सोफिस्टिकेटेड दृष्टिकोणों की ओर जाने का लक्ष्य रखेंगे। (पूरे पाठ के लिए कृपया www.notifics.rbi.org.in देखें)

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक,** प्रेस संपर्क प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑनलुकर प्रेस लि.,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित । **ग्राहक नवीकरण तथा पते में परिवर्तन के लिए मुख्य महाप्रबंधक, प्रेस संपर्क प्रभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 12वीं मंज़िल, फोर्ट, मुंबई 400 001 को मांग ड्राफ्ट/चेक के बिना लिखें। मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू इंटरनेट www.cir.rbi.org.in/hindi पर भी उपलब्ध है।**